

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

पत्र संख्या- 11/कृ.नि.भू.सं.(यो.)24/2014 3005

भू0 सं0, पटना, दिनांक 17-06-2015

प्रेषक,

रामजी सिंह (बि.प्र.से),
संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना।(+)
से परामर्शित।

विषय :

केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP {2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 611.38 करोड़ रु0 (केन्द्रांश 550.25 करोड़ रु0 तथा राज्यांश 61.13 करोड़ रु0) की लागत से वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि 10.00 करोड़ रु0 एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 1.11 करोड़ रु0 कुल 11.11 करोड़ रु0 (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु0 एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु0) में से राज्यांश की राशि के अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 0.9213 करोड़ (बेरानवे लाख तेरह हजार) रु0 वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश : स्वीकृति।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा केन्द्र प्रायोजित समेकित जलछाजन प्रबंधन कार्यक्रम IWMP {2012-13 (Batch-IV), 2013-14 (Batch-V) एवं 2014-15 (Batch-VI)} के लिए कुल 611.38 करोड़ रु0 (केन्द्रांश 550.25 करोड़ रु0 तथा राज्यांश 61.13 करोड़ रु0) की लागत से वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक कार्यक्रम कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं इसके अधीन वर्ष 2014-15 में भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि 10.00 करोड़ रुपये एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि 1.11 करोड़ रुपये कुल 11.11 करोड़ रु0 (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु0 एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु0) में से राज्यांश की राशि के अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 0.9213 करोड़ (बेरानवे लाख तेरह हजार) रु0 वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के पत्रांक K-11013/26/2012 IWMP (Bihar) दिनांक 29.01.2015 द्वारा 10.00 करोड़ रु0 केन्द्रांश विमुक्त किया गया है। उक्त राशि एवं उसके समानुपातिक राज्यांश की राशि कुल 11.11 करोड़ रु0 (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु0 एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु0) की निकासी एवं व्यय हेतु वित्तीय वर्ष 2014-15 में स्वीकृत्यादेश संख्या 1693 दिनांक 30.03.2015 निर्गत किया गया परन्तु राशि की निकासी कोषागार से नहीं की जा सकी है। उक्त राशि (केन्द्रांश 10.00 करोड़ रु0 एवं राज्यांश 1.11 करोड़ रु0 कुल 11.11 करोड़ रु0) में से राज्यांश की राशि के अन्तर्गत सामान्य वर्ग हेतु 0.9213 करोड़ (बेरानवे लाख तेरह हजार) रु0 वर्ष 2015-16 में निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत राशि भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रूप में एवं 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा राज्यांश के रूप में विमुक्त की जायेगी। योजनान्तर्गत प्रत्येक बैच हेतु निर्धारित कार्यक्रम 5 वर्षों में पूरी की जायेगी जिसकी विवरणी निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	योजना	योजना क्षेत्र (लाख हे0 में)	योजना राशि (करोड़ रुपये में)						योग
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	IWMP 2012-13 (Batch- IV)	1.20	5.39	4.44	92.77	38.94	35.67	0.00	177.21
2	IWMP 2013-14 (Batch- V)	1.36	0.00	4.44	105.40	39.94	29.96	19.99	199.73
3	IWMP 2014-15 (Batch- VI)	1.64	0.00	2.22	103.26	58.60	46.88	23.48	234.44
योग			5.39	11.11	301.42	137.49	112.5	43.47	611.38

4. कुल स्वीकृत राशि में से 0.9213 करोड़ (बिरानवे लाख तेरह हजार) रु0 का व्यय मुख्य शीर्ष- 2402 मृदा तथा जल संरक्षण, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष- 102 मृदा संरक्षण, मोंग संख्या-1, उपशीर्ष- 0313 एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) विपत्र कोड- P2402001020313 विषय शीर्ष 31 06 सहायक अनुदान वेतनादि के अलावा अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में उपबंधित राशि 15.60 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

5. भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की निकासी कर बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी को उपलब्ध कराया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता प्रपत्र- 42 पर बिहार वाटरशेड डवलपमेंट सोसाईटी से प्राप्त पूर्व प्राप्ति रसीद के आधार पर की जायेगी। निकासी की गई राशि के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर महालेखाकार/कृषि विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार को अंकेक्षण का अधिकार होगा। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा।

6. स्वीकृति राशि में से अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए निर्धारित प्रतिशत के अनुसार, उनके लिए राशि व्यय किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के सम्बंध में प्रशासी विभाग द्वारा यथा आवश्यक निर्णय लिया जा सकता है। स्वीकृत्यादेश संख्या 1693 दिनांक 30.03.2015 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

7. इस राशि से वाहन/फोटोकॉपियर/वीडियो रिकॉर्डर/प्रोजेक्टर का क्रय, कोई स्थाई भवन निर्माण एवं अन्य पूजीगत वस्तुओं के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

8. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.03.2007 तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-96वि0(2)दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की स्वीकृति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो) 24/2014 के पृ0 26/टि0 पर दिनांक 28.03.2015 को प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या 7355वि0(2)दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्योदश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 11/कृ.नि.भू.सं.(यो)24/2014 के पृ0 /टि0 पर दिनांक को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(रामजी सिंह)

संयुक्त सचिव

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 3005

/भू0सं0, पटना, दिनांक 17-06-2015

प्रति :- 1. प्रभारी पदाधिकारी अंकेक्षण, महालेखाकार (ले0ह0) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव

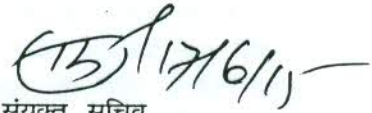
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 3005

/भू०सं०, पटना, दिनांक 17-06-2015

प्रति :- 1. माननीय मंत्री, कृषि बिहार के आप्त सचिव/ डा० सी०पी०रेड्डी, उपायुक्त (ज०वि०) भूमि संसाधन विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार/ विकास आयुक्त, बिहार -सह- अध्यक्ष, BWDS के प्रधान आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव एवं प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

2. कृषि निदेशक, बिहार/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, BWDS/ निदेशक, उद्यान, बिहार/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार/ सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग/संयुक्त कृषि निदेशक (योजना), कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/सम्बंधित प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, दक्षिणी बिहार परिक्रम, पटना/सभी जिला स्तरीय उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण/सभी योजना कार्यान्वयन पदाधिकारी -सह- सहायक निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण/उप निदेशक (शष्य) भूमि संरक्षण, मुख्यालय -सह- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग एवं भूमि संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उप कृषि निदेशक (सूचना) बिहार, पटना एवं आई०टी०मैनेजर कृषि विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



संयुक्त सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

332



0.1

